



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, वेबसाइट : <https://bsea.bihar.gov.in>, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 27/12/2024

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-20/2024 23.11 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित 92 प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित हैं अथवा जिनका निर्वाचन देय है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समितियों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान दिनांक 29.01.2025 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकार के पत्रांक 2178 दिनांक 04.12.2024 एवं पत्रांक 2194 दिनांक 06.12.2024 द्वारा कट-ऑफ तिथि 30.11.2024 निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 24.12.2024 को हो चुका है।

4. अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई०1 में सूचना का प्रकाशन	31.12.2024 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	16.01.2025 (गुरुवार) एवं 17.01.2025 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	18.01.2025 (शनिवार) एवं 20.01.2025 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	22.01.2025 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	29.01.2025 (बुधवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	29.01.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	31.01.2025 (शुक्रवार)

5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अनधिक पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

6. सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना निर्धारित तिथियों को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा। प्राधिकार का निर्देश है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 7:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है। इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथियों को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई० 1) में किया जायेगा।

7. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति मतदान के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले दिन को सुबह 08:00 बजे से शुरू की जाय। यदि मतगणना मतदान के दिन ही होती है तो कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है तो वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त पेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। **अनुलग्नक-2 पर संलग्न प्रपत्र-ई 1** में मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा। सभी प्रपत्रों “ई” (यथा-ई 1, ई 2 इत्यादि) में संशोधन किया गया है। अतः सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु “निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित)” में उल्लिखित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जायेगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

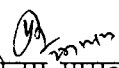
8. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव विडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

9. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 में निर्देश दिये गये हैं।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-1 के निर्देशों के अनुरूप अपलोड करायेंगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” के पृष्ठ 134-139 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।


(पुरूषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 2314

पटना/ दिनांक 27/12/2024

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सचिव।

ज्ञापांक : 2314

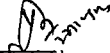
पटना/ दिनांक 27/12/2024

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी

(सं०सं०)/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं० सं०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव, 2024 हेतु दिनांक **11.01.2025** तक कृपया अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1863 दिनांक 17.10.2024 द्वारा निर्देश निर्गत है।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं० सं०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी (सं० सं०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


सचिव।

ज्ञापांक : 2314

पटना/ दिनांक 27/12/2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


सचिव।

ज्ञापांक : 2314

पटना/ दिनांक 27/12/2024

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक : 2314

पटना/ दिनांक 27/12/2024

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाइट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।


सचिव।

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अररिया	नरपतगंज	मधुरा उत्तर नगर पंचायत पैक्स	
2	अररिया	नरपतगंज	मधुरा पश्चिम नगर पंचायत पैक्स	
3	अररिया	रानीगंज	हसनपुर नगर पंचायत पैक्स	
4	अरवल	कुर्था	कुर्था नगर पंचायत पैक्स	
5	औरंगाबाद	देव	पवाई पैक्स	
6	कटिहार	कोढा	कोढा नगर पंचायत पैक्स	
7	कटिहार	कुर्सेला	पश्चिमी मुरादपुर नगर पंचायत पैक्स	
8	कटिहार	बलरामपुर	रामपुर हरदार नगर पंचायत पैक्स	
9	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	चिलबिली पैक्स	
10	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	सकरी पैक्स	
11	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	नगर पंचायत पैक्स कुदरा	
12	गया	खिजरसराय	चिरैली पैक्स	
13	गया	खिजरसराय	जमुवां पैक्स	
14	गया	खिजरसराय	नौडिहा पैक्स	
15	गया	खिजरसराय	हथियावां पैक्स	
16	गया	कोंच	असलेमपुर पैक्स	
17	गोपालगंज	गोपालगंज	कटघरवा पैक्स	
18	दरभंगा	कुशेश्वरस्थान पूर्वी	कुशेश्वरस्थान उत्तरी नगर पंचायत पैक्स	
19	दरभंगा	जाले	जाले उत्तरी नगर परिषद् पैक्स	
20	दरभंगा	जाले	जाले दक्षिणी नगर परिषद पैक्स	
21	दरभंगा	बहेडी	बहेडी पूर्वी नगर पंचायत पैक्स	

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की सूची				
क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
22	दरभंगा	बहेडी	बहेडी पश्चिमी नगर पंचायत पैक्स	
23	दरभंगा	बिरौल	अफ़ज़ला नगर पंचायत पैक्स	
24	दरभंगा	सिंहवाड़ा	भरवाड़ा नगर पंचायत पैक्स	
25	दरभंगा	सिंहवाड़ा	सिंहवाड़ा दक्षिणी नगर पंचायत पैक्स	
26	नवादा	मेसकौर	बरात पैक्स	
27	नवादा	अकबरपुर	बरेव पैक्स	
28	नवादा	वारिसलीगंज	मकनपुर पैक्स	
29	नवादा	अकबरपुर	बरैल पैक्स	
30	नवादा	नवादा	गोनावां नगर पैक्स	
31	नवादा	नवादा	फरहा नगर पैक्स	
32	नालन्दा	हरनौत	मुढारी पैक्स	
33	नालन्दा	परबलपुर	शंकरडीह नगर पंचायत पैक्स	
34	नालन्दा	बिहारशरीफ	रानाविघा नगर निगम पैक्स	
35	नालन्दा	बिहारशरीफ	मघडा नगर निगम पैक्स	
36	पटना	दानापुर	हथियाकांध पैक्स	
37	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	रामनगर	खटौरी पैक्स	
38	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	कल्याणपुर	दरमाहा पैक्स	
39	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	कल्याणपुर	पिपरा खेम पैक्स	
40	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	मोतिहारी	बासमनपुर पैक्स	
41	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पकडीदयाल	बड़कागांव पैक्स	
42	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पताही	पताही पूर्वी पैक्स	

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
43	मुंगेर	असरगंज	मकवा पैक्स	
44	मुंगेर	असरगंज	असरगंज नगर पंचायत पैक्स	
45	वैशाली	राघोपुर	चकसिंगार पैक्स	
46	वैशाली	राघोपुर	रुस्तमपुर पैक्स	
47	वैशाली	हाजीपुर	पानपुरलंगा पैक्स	
48	वैशाली	वैशाली	चकल्हदाद पंचायत पैक्स	
49	शेखपुरा	बरबीघा	जगदीशपुर पैक्स	
50	शेखपुरा	शेखपुरा	कारे पैक्स	
51	शेखपुरा	शेखपुरा	हथियावाँ पैक्स	
52	शेखपुरा	चेवाड़ा	चेवाड़ा नगर पंचायत	
53	शेखपुरा	शेखोपुर सराय	शेखोपुरसराय नगर पंचायत पैक्स	
54	समस्तीपुर	ताजपुर	गौसपुर सरसौना पैक्स	
55	समस्तीपुर	पटोरी	हेतनपुर पैक्स	
56	समस्तीपुर	सरायरंजन	मुसरीघरारी नगर पंचायत बखरी बुजुर्ग पैक्स	
57	समस्तीपुर	वारिसनगर	समस्तीपुर नगर निगम मथुरापुर पैक्स	
58	समस्तीपुर	वारिसनगर	समस्तीपुर नगर निगम सारी पैक्स	
59	सहरसा	कहरा	नरियार नगर निगम पैक्स	
60	सीवान	सीवान सदर	जियाय नगर परिषद् पैक्स	
61	सीवान	गुठनी	पूर्वी गुठनी नगर पंचायत पैक्स	
62	सीवान	गुठनी	पश्चिमी गुठनी नगर पंचायत पैक्स	
63	सीवान	आन्दर	आंदर नगर पंचायत पैक्स	

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की सूची				
क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
64	नालन्दा	गिरियक	पुरैनी पैक्स	
65	नालन्दा	चण्डी	अमरौरा पैक्स	
66	नालन्दा	चण्डी	चंडी नगर पंचायत पैक्स	
67	नालन्दा	चण्डी	तुलसीगढ़ पैक्स	
68	नालन्दा	चण्डी	हसनी पैक्स	
69	नालन्दा	बिहारशरीफ	तुंगी पैक्स	
70	नालन्दा	बिहारशरीफ	मुरौरा पैक्स	
71	नालन्दा	बिहारशरीफ	वियावानी पैक्स	
72	नालन्दा	हरनौत	डिहरी पैक्स	
73	नालन्दा	हरनौत	नेहुसा पैक्स	
74	नालन्दा	हरनौत	बस्ती पैक्स नगर पंचायत हरनौत	
75	पटना	पालीगंज	निरखपुर पाली नगर पंचायत पैक्स	
76	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पताही	परसौनी कपूर पैक्स	
77	मधुबनी	फुलपरास	महथौरखुर्द पैक्स	
78	मधुबनी	फुलपरास	रामनगर पैक्स	
79	मधुबनी	रहिका	नाजिरपुर पैक्स	
80	मधुबनी	रहिका	हुसैनपुर पैक्स	
81	मुंगेर	असरगंज	रहमतपुर पैक्स	
82	मुंगेर	हवेली खड़गपुर	रामनकबाद पूर्वी (खैरा) पैक्स	
83	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	अनजौल पैक्स	
84	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	पगड़ा पैक्सलि०	

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की सूची				
क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
85	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	मालपुर पुरवारीपट्टी पैक्स	
86	समस्तीपुर	रोसड़ा	चकथात (पश्चिमी) पैक्स	
87	समस्तीपुर	रोसड़ा	चकथात (पूर्वी) पैक्स	
88	समस्तीपुर	रोसड़ा	जहाँगीरपुर दक्षिण पैक्स	
89	समस्तीपुर	रोसड़ा	मोहिउद्दीननगर उर्फ रोसड़ा पश्चिम पैक्स	
90	समस्तीपुर	रोसड़ा	रहुआ पैक्स	
91	दरभंगा	जाले	अहियारी उत्तरी नगर पंचायत पैक्स	
92	दरभंगा	जाले	जाले पश्चिमी नगर परिषद् पैक्स	

प्रपत्र-ई 1
सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड के अन्तर्गत
(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है,
मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या	आरक्षित कोटि (यदि लागू हो)
1.	2.	3

(ii) एकल पद, जैसे- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादि, परंतु अन्य पदों पर निबंधक, सहयोग समितियों के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 एवं पत्रांक 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुरूप आरक्षण लागू किए जाएंगे।

(iii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iv) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में
.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांकसे दिनांक.....
.....तकबजे से बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांकको
(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vii) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांकको अपराह्न बजे के पूर्व तक
.....(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(viii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा ।

(ix) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07 बजे पूर्वाह्न से 4:30/ 3:00 बजे अपराह्न तक होगा :-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम/ पता

(1)

(2)

(3)

(x) मतगणना दिनांककोबजे से
(स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्थान--

तिथि --

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू न हों, उसे काट दें।

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त/ जिला सहकारिता पदाधिकारी (क्षेत्रीय निबंधन पदाधिकारी)/ स्थानीय थाना प्रभारी/ स्थानीय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/ स्थानीय जिला सहकारी बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ प्रेषित। प्राधिकार के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रतिलिपि:- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि प्रपत्र ई-1 को विहित स्थलों पर प्रकाशित करायेँ और फोटो भी खींचकर संचिका में रखें।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि एवं अभिलेख अपलोड करने से संबंधित निर्देश।

1. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट- <http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में ससमय निम्न सूचनाओं को प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है-

क्र०	सूचना प्रविष्टि का समय	प्रविष्टि की जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र- ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्टि करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्टि करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्टि करना है।

2. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

3. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निम्नांकित अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड किया जाना है-

क्र०	अभिलेख अपलोड का समय	अपलोड किये जाने वाले अभिलेख
i.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र- ई० 18)।
ii.	मतगणना के एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to

		300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।
--	--	---

प्रपत्र- ई० 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने निगरानी में उक्त दोनों अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा। वेबसाइट पर प्रविष्टि अथवा अभिलेख को अपलोड करने के संदर्भ में किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्राधिकार के पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावे निम्नांकित नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है-

1. श्री वेद प्रकाश - 7543014562
2. श्री अमित अमन- 9507066220

- 0 -